न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 45–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–9–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 104/निगरानी/2008–09.

1– भगवान सिंह आत्मज रामप्रसाद (नाबालिग)
द्वारा संरक्षक माता कांताबाई विधवा रामप्रसाद
2– देवीलाल पिता भेरू सिंह
निवासीगण ग्राम उदनखेड़ी
तहसील सारंगपुर जिला राजगढ .....आवेदकगण

विरूद्ध

दुर्गाप्रसाद पिता कन्हैयालाल धाकड़
निवासी ग्राम उदनखेड़ी
तहसील सारंगपुर जिला राजगढ .....अनावेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा पचोर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत सीमांकन के आधार पर अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–70/07–08 दर्ज कर दिनांक 11–10–07 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर जिला राजगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–5–08 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की

जाकर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 17–2–2009 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–9–2010 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर एवं नायब तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा फर्जी सूचना पत्र की तामीली होना मानकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा 15 जून के पश्चात सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो कि नहीं की जा सकती है, अतः अवैध सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कमांक 1 नाबालिग था, अतः उस पर सूचना पत्र की तामीली विधिवत मान्य नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना दी जाकर तामीली कराई गई है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है । यह भी कहा गया कि आवेदक कमांक 1 भगवान सिंह की माता संरक्षक थी, और उन पर विधिवत तामीली अपर आयुक्त द्वारा कराई गई है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण को सूचना एवं सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण उपस्थित रहे हैं, और उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है । यह भी कहा गया कि इस न्यायालय में निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रकरण अंतरित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, अतः सीमांकन आदेश की जानकारी

आवेदकगण को प्रारंभ से ही रही है । तर्क में यह भी कहा गया कि विधिवत टोटल मशीन से सीमांकन किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दो बार सीमांकन होने का कोई प्रमाण आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, और आवेदकगण की भूमि सड़क में चली गई है, जिसका मुआवजा उनके द्वारा प्राप्त किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का कराये गये सीमांकन को तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत मान्य किया गया है । इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन विधिवत है, जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि जैसा कि अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष कि एक बार तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन विधिवत मान लिये जाने के पश्चात संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश को बदला नहीं जा सकता है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक कमांक 1 के नाबालिग होने के बिन्दु पर बिना तर्क सुने निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिसे विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, और चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में गंभीर भूल की गई थी, अतः अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर